# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : http://rmsc.health.rajasthan.gov.in


क्रमांक : एफ.9()/आरएमएससी/भण्डार/न्यू टोनर/2026–27/900 दिनांक 22/01/2026

## निविदा सूचना

**U.B.N. No.....**

वित्तीय वर्ष 2026–27 में टोनर कार्टरिज क्रय किये जाने हेतु खुली निविदा जारी की जाती है।

| क्र. सं. | विवरण | अनुमानित राशि (₹ लाखों में) | बोली प्रतिभूति (bid security) (₹ में) | निविदा प्रपत्र शुल्क (₹) | निविदा प्रपत्र विक्रय प्रारम्भ की तिथि | निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय | निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय | निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | नवीन टोनर | 9.00 | 18000/- | 590.00 (with 18% GST) | 22.01.2026 02.00 PM | 29.01.2026 06.00 PM तक | 29.01.2026 06.00 PM तक | 30.01.2026 02.00 PM |

इच्छुक निविदादाता 590/– रू नगद जमा करवाकर निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है या SPPP एवं RMSC की वेबसाईट से अपलोड कर राशि रू. 590/– का डी.डी. आरएमएससी के नाम देय हो, निविदा के साथ संलग्न करे। निविदाएँ दिनांक 22.01.2026 को दोपहर 02:00 बजे से जारी की जाकर दिनांक 29.01.2026 सायं 06:00 बजे तक सीलबंद लिफाफो में प्राप्त की जावेगी तथा दिनांक 03.01.2026 को दोपहर 02:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की अनुमानित लागत रू. 09 लाख रूपये है तथा निविदा के साथ रू. 18,000/– बोली प्रतिभूति राशि का डी. डी., जो कि **MD, RMSC** के नाम से देय हो, जमा कराना होगा।

निविदा स्वीकर करने अथवा नहीं करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा। डाक द्वारा प्रस्तुत निविदाओं को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

उक्त निविदा सूचना को www.sppp.rajasthan.gov.in एवं http://rmsc.health.rajasthan.gov.in पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

**विशेषाधिकारी**
**आरएमएससी**

Signature valid
Digitally signed by J... Singh
Designation: Executive Director
Date: 2026.0...01:53 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 20068993
eSign 1.0

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : http://rmsc.health.rajasthan.gov.in


क्रमांक : एफ.9()/आरएमएससी/भण्डार/न्यू टोनर/2026–27/ दिनांक

## टोनर काट्रिडेज क्रय हेतु निविदा की शर्तें

1. निविदा शर्तों का पूर्ण अध्ययन करके ही निविदा दरें देवें।
2. लिफाफे पर निविदा बाबत् सूचना क्रमांक एवं दिनांक अंकित होनी चाहिये।
3. दरें सभी प्रकार के कर सम्मिलित करते हुए देनी होगी।
4. निविदादाता को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. निविदादाता की निविदा में अन्य कोई शर्त अंकित होने पर मान्य नहीं होगी।
6. यह दर संविदा 01 वर्ष के लिए मान्य होगी। पूरे वर्ष में आवश्यकतानुसार आदेश दिये जाएगे। निविदा में अंकित मात्रा अनुमानित है जिसमें आवश्यकता के अनुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।
7. निविदादाता को दूरभाष या पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्ति के पश्चात् 01 दिवस के अन्दर आदेशित सामग्री की आपूर्ति कर इन्स्टॉलेशन की कार्यवाही करनी होगी, इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं किया जायेगा। निर्धारित समयावधि में सामग्री की सप्लाई नहीं किये जाने पर लिक्विडेटेड डेमेज की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
8. निविदा मूल्याकंन का आधार– जिस निविदादाता की दरें अधिक मदों में न्यूनतम आएगी उसको अन्य न्यूनतम दरदाता की दरों से दर मिलान हेतु बुलाया जाएगा।
9. उच्चदर या निम्न दर को निविदा स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति में निहित है। निविदा में अंकित अनुमानित सामग्री से कम/अधिक आपूर्ति का अधिकार क्रय अधिकारी को होगा।
10. निविदा में केवल प्रिन्टर की निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित Genuine Toner Cartidge की दरें ही मान्य होगी तथा Competivle Toner Cartidge की दरें मान्य नही होगी।
11. कार्यालय में सप्लाई की जाने वाली सामग्री Genuine नहीं होने पर सामग्री स्वीकार नहीं की जायेगी तथा कार्यालय द्वारा जारी सप्लाई आदेश को निरस्त कर सफल निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी धरोहर/सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
12. सभी करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
13. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
14. नये टोनर के बिल के साथ इन्स्टालेशन रिपोर्ट संलग्न कर दो प्रतियों में देना होगा।
15. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की अन्य शर्तों तथा राज0 लोक उपापन नियम 2013 में वर्णित नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
16. निविदादाता द्वारा दी गयी दरों में सभी व्यय व कर सम्मिलित होंगे।
17. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन एवं सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का उद्योग आधार में पंजीकृत फर्म होने के सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करनी होगी।
18. अनुमोदित निविदादाता को LOA जारी होने के 05 दिवस में नियमानुसार रू. 500/– के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध–पत्र निष्पादित कर प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ सुरक्षा राशि रू. 45,000/– का डी.डी. आरएमएससीएल के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा के साथ जमा करायी गयी अमानत राशि का समायोजन सुरक्षा राशि में किया जा सकेगा।
19. दरों का विवरण प्रपत्र–ब पृथक सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी।
20. निविदादाता द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्र–स) संलग्न करना अनिवार्य है।
21. निविदादाता द्वारा Fall Clause प्रमाण पत्र (प्रपत्र–द) संलग्न करना अनिवार्य है।
22. निविदादाता द्वारा अपील प्रकरण के संबंध में प्रमाण पत्र (प्रपत्र य) संलग्न करना अनिवार्य है।
23. विगत तीन वर्षों (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) का औसत 5.00 लाख टर्न ओवर के चार्टेड अकाउन्टेन्ट (सनदी लेखाकार) का प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है। प्रपत्र –'र'

Signature valid

Digitally signed by J[illegible]singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2026.0[illegible]:01:53 IST
Reason: Appro[illegible]



RajKaj Ref No.: 20068993

eSign 1.0

**सामान्य शर्तें:–**

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–
   (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
   (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और
   (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
2. **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –
   (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
   (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
   (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
   (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।
   (ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्य क्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
   (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
   (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
   (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।
3. **हित का विरोध** –
   (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
   (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

Signature valid

Digitally signed by J[illegible]ingh
Designation: Executive Director
Date: 2026.0[illegible]:01:53 IST
Reason: Approved

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

**या**

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

Signature valid

Digitally signed by J[illegible]ingh
Designation: Executive Director
Date: 2026.0[illegible]:01:53 IST
Reason: Approved

**4. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** – प्रथम अपील प्राधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 **अपीलः–** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'व')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by J[illegible]singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2026.0[illegible]2[illegible]:01:53 IST
Reason: Approv[illegible]

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले क रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. **अपील का प्ररूप** – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप **(प्रपत्र –'व')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. **अपील फाइल करने के लिए फीस** – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

Signature valid

Digitally signed by J singh
Designation: Exec e Director
Date: 2026.0 :01:53 IST
Reason: Appro

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

5. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को होगा।

6. **यदि फर्म द्वारा किसी भी प्रकार की गलत/मिथ्या सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करती है, तो उसकी निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी।**

7. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

**विशेषाधिकारी**
**आरएमएससी**

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एंव समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेगे।

**निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर**

Signature valid

Digitally signed by J[illegible]ingh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2026.0[illegible]2[illegible]:01:53 IST
Reason: Appro[illegible]

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : http://rmsc.health.rajasthan.gov.in


(प्रपत्र–स)

## निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन प्रिन्टर कन्जुमेबल्स सामग्री की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

**निविदादाता के हस्ताक्षर**

Signature valid

Digitally signed by J... Singh
Designation: Executive Director
Date: 2026.0...2... :01:53 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 20068993

eSign 1.0

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : http://rmsc.health.rajasthan.gov.in


(प्रपत्र–द)

## Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन प्रिन्टर कन्जुमेबल्स सामग्री की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को प्रिन्टर कन्जुमेबल्स सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही निगम से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

**निविदादाता के हस्ताक्षर**

Signature valid

Digitally signed by J[illegible]ingh
Designation: Executive Director
Date: 2026.0[illegible]:01:53 IST
Reason: Approved

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : http://rmsc.health.rajasthan.gov.in


प्रपत्र –'र'

## वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .....का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | टर्न ओवर (राशि ` लाखों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2022–23 | |
| 2 | 2023–24 | |
| 3 | 2024–25 | |
| | **कुल टर्न ओवर** | |
| | **औसत टर्न ओवर** | |

दिनांक

**अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का नाम मय हस्ताक्षर**

**UDIN No----------**

Signature valid

Digitally signed by J... Singh
Designation: Executive Director
Date: 2026.0... 2... :01:53 IST
Reason: Approved

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : http://rmsc.health.rajasthan.gov.in


प्रपत्र–य

**FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]**

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

**Appeal No.....of.....**

**Before the..... (First/Second Appellate Authority)**

**1. Particulars of appellant:**

**(i) Name of the appellant:**

**(ii) Official Address, if any:**

**(iii) Residential address:**

**2. Name and address of the respondent (S):**

**(i)**

**(ii)**

**(iii)**

**3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (endose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:**

**4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:**

**5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:**

**6. Ground of appeal:**

.....

.....

..... **(Supported by an affidavit)**

**7. Prayer:**

.....

.....

**Place ..... Date**

.....

**Appellant's Signature**

Signature valid

Digitally signed by J[illegible] Singh
Designation: Executive Director
Date: 2026.0[illegible]:01:53 IST
Reason: Approved

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : http://rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9()/आरएमएससी/भण्डार/न्यू टोनर/2026–27/ दिनांक

## –: वित्तीय निविदा प्रपत्र :–

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम .....
   व पता .....
2. निविदादाता का नाम : .....
3. दूरभाष नम्बर/मोबाइल नम्बर : (O) ..... (R) .....
4. किसको संबोधित किया जायेगा : MD, RMSCL, Jaipur
5. अनुमानित लागत : ...../–
6. अमानत राशि : ...../–
7. मैं/हम उक्त प्रासंगिक निविदाकर्ता द्वारा जारी निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करते हैं तथा साथ ही अन्य शर्तों व अनुबन्ध जो कि निविदा प्रपत्र के साथ ही संलग्न स्वीकार करते हुए इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।
8. प्रदाय की जाने वाली सामग्री का विवरण :–

| क्र. सं. | प्रिंटर नाम | मॉडल नम्बर | कुल प्रिन्टर्स की संख्या | कार्टेरेज की अनुमानित मात्रा | बैसिक दर प्रति कार्टेज | जीएसटी | कुल दर प्रति कार्टेज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFC Brother | L59OODW | 5 | 30 | | | |
| 2 | HP | M 203 DW | 1 | 06 | | | |
| 3 | HP | M 226 DW | 1 | 06 | | | |
| 4 | Samsung | M 2876 ND | 17 | 102 | | | |
| 5 | EPSON | M 3170 | 12 | 72 | | | |
| 6 | HP | M 329 DW | 35 | 210 | | | |
| 7 | Samsung | M 3320 ND | 2 | 12 | | | |
| 8 | HP | M1213NF MFP | 1 | 06 | | | |
| 9 | HP (Colour) | M255DW | 2 | 12 Set | | | |
| 10 | Canon | MF 3010 | 8 | 48 | | | |
| 11 | Canon (Colour) | MFB 31 CN | 1 | 06 set | | | |
| 12 | HP | MFP M128FN | 1 | 06 | | | |
| 13 | Samsung | ML 3310 ND | 1 | 06 | | | |
| 14 | HP | P 1606 DN | 7 | 42 | | | |
| 15 | EPSON (Colour) | WF-C5790 | 1 | 06 set | | | |

9. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 01 दिवस की अवधि में सामग्री की सुपुर्दगी करनी होगी।
   संलग्न :– शर्तें

हस्ताक्षर निविदादाता
मय फर्म की मोहर

Signature valid
Digitally signed by J... Singh
Designation: Exec... e Director
Date: 2026.0... 2... :01:53 IST
Reason: Appro...



RajKaj Ref No.: 20068993
eSign 1.0